स्वच्छ जल,

सुनहरा कल

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग, परियोजना
खण्ड चितौडगढ
''शास्त्रीनगर, चितौडगढ – 312001

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक :– अअ./पखचि/ /2020–21/ SP-1 दिनांक :– 12-8-2020

श्रीमान् उपवन संरक्षक,
चितौडगढ।

विषय :– पंचायत समिति भैंसरोडगढ के 38 ग्राम एवं 27 ढाणियों की पेयजल परियोजना के फोरेस्ट क्लीयरेन्स के प्रस्ताव पर आक्षेपों के प्रत्युत्तर के संबंध में। (Proposal No. FP/RJ/WATER/17698/2016).

सन्दर्भ :– आपके कार्यालय पत्रांक एफ ( ) एफ.सी.ए./ उवसं/ 2020–21/ 4982 दिनांक 28.07.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि इस प्रस्ताव में कुल 3.8122 हैक्टेयर गैर वन भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग को किया जाना था, जिसके लिए पूर्व में 3.81 हैक्टेयर भूमि का हस्तान्तरण किया जा चुका है। अब शेष रही गैर वन भूमि 0.0022 हैक्टेयर ही है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय वन संरक्षक, लखनउ द्वारा आक्षेप में टंकण त्रुटिवश 0.0122 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होना अवशेष बता दिया गया।

अतः वास्तविक अवशेष रही भूमि 0.0022 हैक्टेयर श्रीमान् जिला कलक्टर चितौडगढ द्वारा आदेश दिनांक 04.09.2019 से वन विभाग के पक्ष में सेट अपार्ट कर दी गई है, जो कि संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा उनके स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर लिया गया तथा वन विभाग से इस प्रस्ताव में आवश्यक स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार/ राजस्व विभाग द्वारा उक्त गैर वन भूमि का नियमानुसार हस्तान्तरण कर दिया जाएगा।

प्रकरण में वांछित कुल NFL 3.8122 हैक्टेयर गैर वन भूमि का आवंटन खण्डवाईज उपवन संरक्षक मुकन्दरा नेशनल पार्क, कोटा को 2.30 हैक्टेयर तथा उपवन संरक्षक चितौडगढ टेरिटोरियल को 1.5122 हैक्टेयर किया गया तथा इसी अनुरूप फोरेस्ट क्लीयरेन्स के ऑनलाईन प्रपोजल में खण्ड वाईज अलग–अलग 2.3 हैक्टेयर एवं 1.5122 हैक्टेयर कुल 3.8122 हैक्टेयर की के.एम.एल. अपलोड की हुई है।

कृपया प्रस्ताव को शीघ्र अग्रेषित कराने का श्रम करावे, जिससे शीघ्र से शीघ्र इस प्रस्ताव में फोरेस्ट क्लीयरेन्स प्राप्त की जा सके।

12-8-2020

(डी. आर. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा० अभि० विभाग,
परियोजना खण्ड, चितौडगढ

Scanned by CamScanner